

राजस्थान विद्युत् शुल्क) विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत् अधिनियम, 2003 में पुरःस्थापित आमूल परिवर्तनों और नयी संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 को निरसित करने और ऐसे प्ररूप में पुनः अधिनियमित करने हेतु, जिससे राजस्थान राज्य के भीतर विद्युतीय ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत् शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अपील प्राधिकारी" से, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जो उपायुक्त, वाणिज्यिक कर की रैंक से नीचे का न हो, अभिप्रेत है;

(ख) "निर्धारण प्राधिकारी" से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, अभिप्रेत है;

(ग) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन दायित्व का निर्धारण अभिप्रेत है;

(घ) "सहायक उपभोग" से विद्युत् उत्पादन के लिए किसी उत्पादन केंद्र पर स्थित किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा उपभुक्त विद्युत् अभिप्रेत है जिसमें आबद्ध उत्पादन संयंत्र, सह-उत्पादन संयंत्र या कोई अन्य उत्पादन संयंत्र और उत्पादन केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियां सम्मिलित हैं:

परन्तु इसमें उत्पादन केन्द्र द्वारा उसकी आवासन कालोनी को दी गयी बिजली का प्रदाय और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादन केन्द्र पर किये गये सन्निर्माण कार्यों के लिए उपभुक्त ऊर्जा सम्मिलित नहीं होगी;

(ड.) "आबद्ध उत्पादन संयंत्र" से किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से उसके स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए विद्युत् का उत्पादन करने के लिए स्थापित शक्ति संयंत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी सहकारी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम द्वारा ऐसी सहकारी सोसाइटी या सदस्यों के संगम के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत् का उत्पादन करने के लिए स्थापित विद्युत् संयंत्र भी हैं;

(च) "आयुक्त" से आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर, राजस्थान सम्मिलित हैं;

(छ) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे किसी अनुज्ञसिधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभारों के संदाय पर या अन्यथा विद्युत् का प्रदाय किया गया, और कोई अनुज्ञसिधारी या अन्य व्यक्ति जो स्वयं द्वारा उत्पादित विद्युत् का उपभोग करता है, किन्तु इसमें ऐसा कोई अनुज्ञसिधारी सम्मिलित नहीं है जिसे अन्य को प्रदाय करने हेतु विद्युत् का प्रदाय किया जाता है और शब्द "उपभोग" का उसके व्याकरणिक रूपभेद के साथ तदुसार अर्थ लगाया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- जहां कोई अनुज्ञसिधारी जिसे अन्य को प्रदाय करने के लिए विद्युत् का प्रदाय किया गया है विद्युत् के किसी भाग का स्वयं

उपभोग करता है, वहां उसे इस प्रकार उपभुक्त विद्युत् के संबंध में उपभोक्ता समझा जायेगा:

परन्तु रूपांतरण, पारेषण और वितरण हानियों के कारण हुई ऊर्जा की किसी हानि और सहायक उपभोग को अनुज्ञप्तिधारी के स्व-उपभोग के रूप में नहीं समझा जायेगा;

ज) "विद्युत् अधिनियम" से विद्युत् अधिनियम, 2003 2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं.36) अभिप्रेत है;

झ) "विद्युत्" से,-

क) किसी प्रयोजन के लिए उत्पादित, पारेषित, वितरित, उपभुक्त, व्यापार की गयी या चक्रित की गयी; या

ख) किसी प्रयोजन के लिए उपभुक्त ;

विद्युतीय ऊर्जा, अभिप्रेत है;

ञ) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

ट) "अनुज्ञप्तिधारी" से कोई व्यक्ति, जिसे विद्युत् अधिनियम की धारा 14 के अधीन विद्युत् के पारेषण, वितरण, प्रदाय, व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है, अभिप्रेत है और इसमें वे भी सम्मिलित हैं जो किसी डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति धारित करते हैं और वे भी जिन्हें विद्युत् अधिनियम की धारा 13 के अधीन छूट दी गयी है;

ठ) "निर्बाध पहुंच" पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली सहित सहयुक्त सुविधाओं के किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता या राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था अभिप्रेत है;

ड) "व्यक्ति" से, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब या संयुक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई कंपनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, कोई सहकारी

सोसाइटी, कोई न्यास, कोई क्लब, कोई संस्था, कोई अभिकरण, कोई निगम, कोई स्थानीय प्राधिकरण, सरकार का कोई विभाग या अन्य कृत्रिम या विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं;

- द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- ण) "कर बोर्ड" से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 88 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड अभिप्रेत है; और
- त) "इकाई" से प्रति घंटा किलोवाट कि.वा.) में विद्युत् के माप की इकाई अभिप्रेत है;

2) इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 24.02.2014 में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिसूचना में समनुदिष्ट किये गये हैं।

अध्याय-2

विद्युत् शुल्क का भार और उद्ग्रहण

3. उपभुक्त विद्युत् पर विद्युत् का भार और उद्ग्रहण.- 1) किसी उपभोक्ता द्वारा उपभुक्त विद्युत् पर, राज्य सरकार को संदत्त किये जाने के लिए शुल्क जिसे इसमें इसके पश्चात् "विद्युत् शुल्क" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) उद्ग्रहीत किया जायेगा, जो ऐसी दर पर संगणित किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये, किन्तु 100 पैसे प्रति इकाई से अधिक नहीं होगी।

2) निम्नलिखित द्वारा उपभुक्त विद्युत् पर विद्युत् शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा,-

- क) लोक उपक्रमों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा;
- ख) लोक उपक्रमों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा;

- ग) रेलवे के सन्निर्माण, रख-रखाव या प्रचालन में भारत सरकार द्वारा;
- घ) जहां विद्युत् 100 वाल्ट से अनधिक वोल्टेज पर उत्पादित की जाती है;
- ड.) निम्नलिखित संस्थाओं के वर्गों द्वारा, अर्थात्:-
- i) अस्पताल या औषधालय, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं;
 - ii) शैक्षिक संस्थाएं, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं;
 - iii) लोक पूजा के स्थान,

इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि, इस खण्ड के अधीन दी गयी छूट, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भवनों या भवनों के भाग में उपभुक्त विद्युत् पर लागू नहीं होगी।

4. विद्युत् शुल्क से छूट देने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग द्वारा उपभुक्त विद्युत् पर संदेय विद्युत् शुल्क के संदाय से, बिना किसी शर्त या ऐसी शर्त के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पूर्णतः या भागतः चाहे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से, छूट दे सकेगी।

अध्याय-3

उपकर का उद्ग्रहण

5. उपकर का उद्ग्रहण.- 1) राज्य में किसी क्षेत्र की मूलभूत सुख-सुविधाएं जैसे रेल और सड़क परिवहन प्रणालियों, संसूचना प्रणालियों, बिजली वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, निकासी प्रणाली, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या सार्वजनिक उपयोगिताओं के क्षेत्र जैसे कि मार्ग रोशनी, स्वच्छता आदि तथा नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के लिए, समय-समय पर, राजपत्र में यथा अधिसूचित, विद्युत् उपभोग के पचास पैसे प्रति इकाई से अनधिक उपकर राज्य सरकार के लिए उद्ग्रहीत और उसे संदत्त किया जा सकेगा।

2) उप-धारा 1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, धारा 3 के अधीन प्रभार्य विद्युत् शुल्क के अतिरिक्त होगा।

3) उप-धारा 1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, उप-धारा 1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय विद्युत् शुल्क के संबंध लागू होते हैं।

4) उप-धारा 3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार उप-धारा 1) के अधीन इस प्रकार उद्ग्रहणीय उपकर के अवधारण, छूट, गणना, संग्रहण इत्यादि की रीति के लिए नियम बना सकेगी।

5) इस धारा के अधीन संगृहीत उपकर यथा नियत प्रयोजन के लिए चिह्नित किया जायेगा और उपयोग में लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नगरपालिकाओं का वही अर्थ होगा जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 2009 का अधिनियम सं. 18) में यथा परिभाषित है और पंचायतीराज संस्थाओं का वही अर्थ होगा जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 1994 का अधिनियम सं. 13) में यथा परिभाषित है।

अध्याय - 4

रजिस्ट्रीकरण

6. रजिस्ट्रीकरण.- 1) रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित दायी होंगे:-

- i) प्रत्येक अनुज्ञसिधारी;
- ii) अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, जो अपने स्वयं के उपयोग या आबद्ध उपभोग के लिए विद्युत् उत्पादित करने या उत्पादन जारी रखने के लिए आशयित है,

रजिस्ट्रीकरण के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, पोर्टल पर आवेदन करेगा।

2) डीम्ड रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण में संशोधन और रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाये।

अध्याय -5

विद्युत् शुल्क का संग्रहण और संदाय

7. विद्युत् शुल्क का संग्रहण और संदाय.- 1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी,-

- (क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके उपभोक्ताओं को प्रदाय की गयी विद्युत् के संबंध में;
- ख) निर्बाध पहुंच की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को दी गई चक्रित विद्युत् के संबंध में; और
- ग) किसी व्यक्ति द्वारा, राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग ग्रीड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियां), विनियम, 2021 के अधीन स्थापित सौर संयंत्र से उत्पादित विद्युत् के उपभोग के संबंध में,

उपभुक्त विद्युत् की इकाईयों पर आधारित इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क संगृहीत करेगा और विहित समय पर और रीति से राज्य सरकार को संदत्त करेगा।

2) इस प्रकार संदेय विद्युत् शुल्क, अनुज्ञप्तिधारी से, उसके द्वारा प्रदाय की गयी या चक्रित की गयी विद्युत् के लिए, वसूलीय रकम पर यह पहला प्रभार होगा और उस पर राज्य सरकार को उससे शोध्य ऋण होगा।

3) प्रत्येक व्यक्ति, जो आबद्ध उपभोग के लिए विद्युत् का उत्पादन करता है और अनुज्ञप्तिधारी की ग्रीड से कोई निर्बाध पहुंच नहीं ले रहा है, उसके द्वारा या उपभोक्ताओं, जिन्हें उसने विद्युत् का प्रदाय किया है, के द्वारा उपभुक्त विद्युत् के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क, विहित समय और रीति से, राज्य सरकार को संदत्त करेगा।

4) उप-धारा 3) में अंतर्विष्ट कोई भी बात लागू नहीं होगी यदि विद्युत् का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को किया गया है।

5) जहां कोई व्यक्ति, उससे शोध्य विद्युत् शुल्क की रकम का संदाय विहित समय और रीति से करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो वहां विद्युत् का प्रदाय करने वाला अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रकम की वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपभोक्ता या व्यक्ति को,

जिसे विद्युत् का प्रदाय किया गया है, पन्द्रह दिवस से अन्यून की लिखित सूचना देने के पश्चात् अनुज्ञसिधारी या विद्युत् का प्रदाय करने वाले व्यक्ति के पास शोध्य जमा या प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम से विद्युत् शुल्क की कटौती कर सकेगा। यदि उसके पास उपलब्ध जमा या प्रतिदाय से बकाया वसूलीय न हो, तो वह उपभुक्त विद्युत् पर उपभोग प्रभारों के संबंध में शोध्य किसी प्रभार या राशि की वसूली के लिए विद्युत् अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा 1) द्वारा अनुज्ञसिधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

अध्याय - 6

विवरणी फाइल करना

8. लेखाओं का संधारण और अनुरक्षण.- इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति,-

- क) उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए उसके द्वारा उत्पादित या प्राप्त विद्युत् की इकाईयां;
- ख) उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाने वाली या उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत् की इकाईयां;
- ग) उस पर संदेय विद्युत् शुल्क की रकम; और
- घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायें,

दर्शित करते हुए उपभुक्त विद्युत् का एक सत्य और सही लेखा संधारित और अनुरक्षित करेगा।

9. विवरणी फाइल करना.- 1) इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति से और विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब के लिए ऐसी विलंब फीस के साथ, जो विहित की जाये, विवरणी विवरणियां) प्रस्तुत करेगा।

2) प्रत्येक अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति को किसी कालावधि के लिए ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि.-

- क) किसी भी पूर्व कालावधि के लिए उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी है; या
- ख) किसी कालावधि के लिए उसके द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क की कोई रकम, विहित समय के भीतर संदत्त नहीं की गयी है।

3) जहां उप-धारा 1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति को, आयुक्त, या अन्य किसी अधिकारी द्वारा निर्धारण या प्रवर्तन कार्यकलाप के फलस्वरूप से भिन्न, उसमें किसी लोप या गलत विशिष्टियों का पता चलता है वहां वह ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों को ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करके परिशोधित कर सकेगा।

4) इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोटिस द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति से, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

5) उप-धारा 1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आयुक्त की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा विवरणी विवरणियां) प्रस्तुत करने की तारीख को विस्तारित कर सकेगा या किसी या समस्त विवरणियों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा से अभिमुक्त कर सकेगा।

अध्याय- 7

ब्याज और शास्तियां

10. विद्युत् शुल्क संदत्त करने में असफलता पर ब्याज.- प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार विद्युत् शुल्क संदत्त करने का दायी है, विहित कालावधि के भीतर राज्य सरकार को विद्युत् शुल्क या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, जिस कालावधि के लिए विद्युत् शुल्क या उसका कोई भाग असंदत्त रह जाता है, ऐसे संदाय के लिए विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक उत्तरवर्ती दिन से प्रारंभ होने वाली और ऐसे दिन के साथ

समाप्त होने वाली जब ऐसा संदाय हुआ हो कालावधि के लिए असंदत रहने वाली रकम पर अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज स्वयंमेव संदत करेगा।

11. अपराध और शास्तियां.- 1) निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर, जो इसमें नीचे उपबंधितानुसार कोई भी व्यतिक्रम कारित करता है, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:-

क) जहां कोई व्यक्ति धारा 8 में उपबंधित लेखों का रखरखाव और अनुरक्षण नहीं करता है और/ या जब कभी भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर उसे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वह शास्ति के रूप में पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की राशि और निरंतर व्यतिक्रम के मामले में व्यतिक्रम की ऐसी निरंतरता के लिए प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये शास्ति का संदाय करने का दायी होगा;

ख) जहां कोई व्यक्ति -

- i) जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी हो किंतु रजिस्ट्रीकरण करवाने में असफल होता है;
- ii) किसी तात्विक साक्ष्य या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करता है, या नष्ट करता है;
- iii) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त, किसी अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बाधा डालता है;
- iv) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों का पालन करने में असफल रहता है जिसके लिए अधिनियम में पृथकतः कोई शास्ति उपबंधित नहीं है,

वह शास्ति के रूप में पच्चीस हजार रुपये से अनधिक राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा;

ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संगृहीत विद्युत् शुल्क के कारण कोई राशि शोध्य है किन्तु उसके लिए नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार को संदत नहीं की गयी है, ऐसा

अनुज्ञसिधारी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी राशि पर संदेय ब्याज के अतिरिक्त बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष के बराबर संदत्त करने का दायी होगा;

घ) जहां कोई भी व्यक्ति विद्युत् शुल्क का परिवर्जन या अपवंचन करने का प्रयत्न करते हुए पाया जाता है या उसके द्वारा दी गयी, किसी विवरणी से या लेखाओं और पुस्तकों से कोई विशिष्टियां छुपायी गयी हैं या मिथ्या/ जाली सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, निर्धारण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय विद्युत् शुल्क के अतिरिक्त परिवर्जित या अपवंचन किये गये विद्युत् शुल्क की रकम के दो गुना के समान राशि उस पर शास्ति के रूप में अधिरोपित कर सकेगा।

2) इस धारा के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

12. शास्ति के बदले में अपराधों का शमन.- जहां कोई व्यक्ति शास्ति के बदले में अपराध का शमन करने के लिए कोई आवेदन धारा 11 के उप-खंड घ) के अधीन कारित अपने अपराध को स्वीकार करते हुए, अधिकारिता रखने वाले निर्धारण प्राधिकारी को देता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी परिवर्जित या अपवंचन किये गये विद्युत् शुल्क की रकम के बराबर राशि के संग्रहण द्वारा अपराध का शमन कर सकेगा।

13. कंपनियों द्वारा अपराध.- 1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा कारित किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित होने के समय पर, कंपनी और साथ ही साथ कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी माना जाएगा और तदुसार कार्यवाही करने और दंडित किये जाने का दायी होगा:

परंतु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए दोषी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने उस उक्त अपराध का किया जाना रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी;

2) उप-धारा 1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता, या उसके स्तर पर की गयी किसी लापरवाही के कारण कारित हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी इस अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के प्रति कार्यवाही किये जाने तथा तदुसार दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ,-

क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है; और

ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय - 8

अधिकारी, शक्तियां और उन्मुक्तियां

14. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.- 1) आयुक्त की संपूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी और वह इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

2) आयुक्त, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसी उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जायें, अपनी शक्तियां उसके अधीनस्थ किन्हीं अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

3) राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को यथा विहित कतिपय कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

4) इस धारा के अधीन प्राधिकृत समस्त अधिकारी और व्यक्ति आयुक्त के अधीनस्थ होंगे।

15. कर्तव्य और शक्तियां.- 1) आयुक्त और ऐसे अधिकारी जो उसकी सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किये जाएं, ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो विहित किये जायें।

2) आयुक्त द्वारा प्राधिकृत निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों और निबंधनों के साथ प्राधिकृत किये जाने वाले ऐसे अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

- क) ऐसी पुस्तकों और अभिलेखों को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय विद्युत् शुल्क की रकम को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो;
- ख) जहां आयुक्त या उप-आयुक्त प्रशासन) की रैंक से अनिम्न किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विद्युत् शुल्क का अपवंचन करने या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन में लिप्त है, तो वह निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा;
 - i) इस अधिनियम के अधीन रखी गयी लेखा पुस्तकों में किये गये कथनों और प्रस्तुत की गयी विवरणियों का सत्यापन करने के लिए;
 - ii) मीटरों के पठन का परीक्षण करने के लिए; और
 - iii) विद्युत् शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए; और
- ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए विहित की गयी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए।

3) जहां उप-धारा 2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के पास उप-धारा 2) के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा,

विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेज, या पुस्तकें या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से सुसंगत हों या जो उसकी राय में उपयोगी हों, किसी स्थान पर छिपी हुई हों, तो वह ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी और अभिग्रहण कर सकेगा:

परन्तु जहां ऐसे किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण करना साध्य न हो, तो उक्त अधिकारी दस्तावेजों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील करा सकेगा कि ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय दस्तावेजों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि इस प्रकार अभिगृहीत दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं ऐसे अधिकारी द्वारा केवल इतने समय तक ही प्रतिधारित की जा सकेंगी जितना इस अधिनियम के अधीन उनकी परीक्षा और किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हो।

4) उप-धारा 3) में निर्दिष्ट दस्तावेज, पुस्तकें या वस्तुएं या अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये कोई अन्य दस्तावेज, पुस्तकें या वस्तुएं, जिस पर इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये नोटिस के प्रयोजन के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है, तो उक्त नोटिस के जारी होने से तीस दिवस से अनधिक की कालावधि के भीतर ऐसे व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।

5) उप-धारा 2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी परिसर, जहां ऐसे परिसरों, अलमारी, इलेक्ट्रानिक उपकरणों, बक्सों, या आधानों इत्यादि तक पहुंच से इंकार कर दिया गया हो, वहां उसे दरवाजे को सील करने या तोड़कर खोलने या किसी अलमारी, इलेक्ट्रानिक उपकरणों, बक्सों, आधानों इत्यादि को तोड़कर खोलने की शक्ति होगी जिसमें उस व्यक्ति के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज छिपाये होने का संदेह हो।

6) वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से उप-धारा 3) के अधीन कोई दस्तावेज अभिगृहीत किये गये हैं, प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और समय पर जो, ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण लेने का हकदार होगा, सिवाय वहां, जहां

ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसे उद्धरण लेना प्राधिकृत अधिकारी की राय में अन्वेषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

7) उप-धारा 3) के अधीन इस प्रकार अभिगृहीत दस्तावेजों और पुस्तकों को, बंधपत्र निष्पादित करने या प्रतिभूति देने पर, क्रमशः ऐसी रीति से और ऐसी मात्रा में, जो विहित की जायें, या यथास्थिति, लागू विद्युत् शुल्क, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

8) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, उक्त संहिता की धारा 165 की उप-धारा 5) के उपान्तरण के अध्यक्षीन रहते हुए इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण पर इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो शब्द "मजिस्ट्रेट" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "आयुक्त" प्रतिस्थापित किया गया हो।

9) जहां प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति विद्युत् शुल्क के संदाय का अपवंचन करता है या अपवंचन करने का प्रयत्न करता है, तो वह उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये ऐसे व्यक्ति के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए, अभिगृहीत कर सकेगा और उसके लिए उसकी रसीद जारी करेगा, और उसे इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में इतने समय तक प्रतिधारित करेगा जितना आवश्यक हो।

16. उन्मुक्ति.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में सद्भावपूर्वक की गयी किसी बात के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों या पदधारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

अध्याय-9

निर्धारण

17. स्व-निर्धारण.- धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क का स्व-निर्धारण करेगा और धारा 9 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विवरणी में, प्रत्येक कालावधि के लिए विहित समय के भीतर-भीतर घोषणा करेगा, वह फाईल की गयी विवरणी के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा और धारा 18 की उप-धारा 2) से संबंधित मामलों के सिवाय कोई पृथक आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

18. निर्धारण.- 1) इस धारा की उप-धारा 2) के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क, उस वर्ष या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान वह विद्युत् शुल्क संदाय करने के लिए दायी है, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से निर्धारित किया जायेगा।

2) जहां, -

- i) निर्धारण प्राधिकारी विद्युत् शुल्क के असंदाय के लिए व्यक्ति की सदाशयता से संतुष्ट नहीं है और इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन विवरणी देने के लिए अपेक्षित हो, अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति ऐसी विवरणी देने में असफल हो जाए, या जहां इस प्रकार दी गयी विवरणी का निर्धारण प्राधिकारी को गलत या अधूरी होना प्रतीत हो, या
- ii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति स्वयं को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने में असफल रहता है, या
- iii) आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण हो कि मामले की विस्तृत संवीक्षा आवश्यक है, तो निर्धारण प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति पर, जो विद्युत् शुल्क संदाय करने के लिए दायी है, नोटिस ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर या तो उपस्थित होने और लेखा पुस्तकें और समस्त साक्ष्य जिन पर अनुज्ञप्तिधारी या

अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति अपनी विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिए या ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट हों, तामील करवाएगा।

3) अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, जिसे उप-धारा 2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और दस्तावेज या साक्ष्य, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए निर्धारण प्राधिकारी, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार, ऐसे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित विद्युत् शुल्क की रकम के निर्धारण की ओर अग्रसर होगा और इस संबंध में निर्धारण आदेश जारी करेगा।

4) उस कालावधि या कालावधियों को, जिनके संबंध में अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति विद्युत् शुल्क संदत्त करने के लिए दायी है, को सम्मिलित करते हुए वर्ष के अंत से, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उप-धारा 3) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

19. छूट गया निर्धारण.- 1) यदि किसी सूचना के परिणामस्वरूप, जो निर्धारण प्राधिकारी की जानकारी में आयी है, जिसके कारण इस अधिनियम की धारा 17 या धारा 18 के अधीन कोई रकम किसी भी रूप में निर्धारित या अनिर्धारित पायी गयी है, तो निर्धारण प्राधिकारी अभिलेख पर सामग्री के आधार पर या ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे छूट गये निर्धारण को पूरा करेगा।

2) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् उप-धारा 1) के अधीन कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जायेगा और आठ वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

3) पहले से किया हुआ निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किए गए निर्धारण के अध्यधीन होगा।

अध्याय-10

वसूली और प्रतिदाय

20. वसूली.- 1) विद्युत् शुल्क के लेखे यदि कोई शोध्य राशि, विहित समय और रीति से संदत्त नहीं की गयी हो तो वह बकाया समझी जाएगी और ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित ऐसी राशि राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व के किसी बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

2) जहां इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदेय कोई रकम संदत्त नहीं की जाती है, तो निर्धारण प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति जिससे धन शोध्य है या ऐसे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति से शोध्य हो गया हो, जो ऐसे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के लेखे धन धारित कर सकेगा, राज्य सरकार को धन शोध्य होने पर या अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा तत्पश्चात् धारित किये जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारित किये जाने से पूर्व का नहीं होगा, उतने धन का, जो अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

3) प्रत्येक अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, जिसे उप-धारा 2) के अधीन नोटिस जारी किया जाता है, ऐसे नोटिस का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशिष्टतया, जहां ऐसा नोटिस किसी डाकघर, बैंकिंग कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी किया गया है, वहां किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या समान दस्तावेज को किसी नियम के होते हुए भी, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी संदाय किए जाने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

4) अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, जिसे उप-धारा 2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, उसके अनुसरण में राज्य सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम

के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम भोगने होंगे।

5) निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यक्षीन रहते हुये जो विहित किये जायें, किसी भी ऐसे नोटिस का संशोधन कर करेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या नोटिस के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा।

6) उप-धारा 2) के अधीन नोटिस की अनुपालना में संदाय करने वाले किसी अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय किया है और ऐसे संदाय को राज्य सरकार के पास जमा किये जाने पर ऐसे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के प्रति दायित्व का, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक उत्तम और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा।

7) अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के किसी दायित्व का उप-धारा 2) के अधीन नोटिस की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाले अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, निर्वहन किये गये दायित्व की सीमा तक या विद्युत् शुल्क, ब्याज और शास्ति के लिए अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के दायित्व, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक राज्य सरकार के प्रति दायी होगा।

8) जहां अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति, जिस पर उप-धारा 2) के अधीन नोटिस की तामील की गयी है, निर्धारण प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांगा गया धन या उसका कोई भाग अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति से शोध्य नहीं था या यह कि वह अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के लिए या अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के मद्दे उस पर नोटिस की तामील किये जाने के समय किसी धन को धारित नहीं कर रहा था और न ही मांगा गया धन या उसके किसी भाग के अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे धारित किये जाने की संभावना है, वहां इस धारा में अंतर्विष्ट कोई

बात उस व्यक्ति से जिस पर ऐसे किसी धन या उसके भाग की राज्य सरकार को संदत करने के लिए नोटिस की तामील की गयी है, संदत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

9) जहां इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान ऐसी कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय हो कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से इस अधिनियम के अधीन विद्युत् शुल्क के दायी अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

10) उप-धारा 9) के अधीन किये गये आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् ऐसी अनंतिम कुर्की प्रभावी नहीं रहेगी।

21. विद्युत् शुल्क का प्रथम प्रभार होना.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विद्युत् शुल्क ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय किसी रकम, जिसके लिए वह राज्य सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

22. कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति घटाने या अधित्यक्त करने की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी इसमें विनिर्दिष्ट की जाये, घटा या अधित्यक्त कर सकेगी।

23. प्रतिदाय.- 1) जहां किसी अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा संदत कोई रकम, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा वास्तविक रूप से संदेय रकम से अधिक हो जाती है या जहां

किसी कारणवश प्रतिदाय उद्धृत होता है, वह ऐसे प्ररूप में, ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसी रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगा।

2) यदि विद्युत् शुल्क, जो अधिनियम के अधीन संदेय है, उससे अधिक संगृहीत और संदत्त किया गया है तो आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, संबंधित अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति को, जिससे यह संदेय से अधिक संगृहीत किया गया है, इस प्रकार संदत्त अधिक शुल्क के प्रतिदाय को प्राधिकृत करेगा और अधिनियम के अधीन जो अधिक संगृहीत किया गया है वो शुल्क के भावी शोध्यों के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

अध्याय-11

अपील और पुनरीक्षण

24. अपील.- 1) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा।

2) किसी अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील फाईल नहीं की जाएगी, जब तक कि उसने,-

क) आक्षेपित आदेश से उद्धृत विद्युत् शुल्क और उपकर, ब्याज और शास्ति की ऐसी रकम, जैसी उसके द्वारा पूर्ण रूप से संदत्त नहीं की है, और

ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाईल की गयी है, से उद्धृत विवाद में विद्युत् शुल्क की शेष रकम के दस प्रतिशत के समतुल्य जमा नहीं करा दी है।

3) जहां उप-धारा 2) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम संदत्त कर दी गयी है, शेष रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित की गयी समझी जाएंगी।

4) अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञ सिधारी से भिन्न व्यक्ति को अपील की सुनवाई के समय सुने जाने का अधिकार होगा।

5) प्रत्येक अपील, जहां तक संभव हो, उस तारीख से, जिसको यह फाईल की गयी थी, एक वर्ष की कालावधि के भीतर सुनी और विनिश्चित की जाएगी:

परंतु जहां आदेश का जारी किया जाना न्यायालय के किसी आदेश द्वारा स्थगित किया गया है, ऐसे स्थगन की कालावधि, एक वर्ष की कालावधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

25. पश्चात्कर्ती अपील.- धारा 24 में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न कोई व्यक्ति, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, अपील चाहने वाले व्यक्ति को, लिखित में संसूचित किये जाने की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर कर बोर्ड के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा और द्वितीय अपील से संबंधित समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

26. उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण.- 1) धारा 25 के अधीन कर बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति, ऐसे आदेश की तामील की दिनांक से नब्बे दिवस के भीतर, इस आधार पर कि इसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित है, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए, विहित फीस के साथ विहित प्ररूप में उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।

2) यदि आयुक्त धारा 25 के अधीन कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो इस आधार पर कि इसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित है, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए किसी अधिकारी को उच्च न्यायालय को आवेदन करने के निदेश दे सकेगा; और ऐसा अधिकारी उस तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर उच्च न्यायालय को आवेदन करेगा जिस पर पुनरीक्षित किया जाने वाले ईप्सित आदेश को लिखित में, आयुक्त को संसूचित किया गया।

3) उप-धारा 1) या उप-धारा 2) के अधीन पुनरीक्षण आवेदन पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश में अंतर्वलित विधि के प्रश्न का कथन करेगा, और उच्च न्यायालय किसी प्ररूप में विधि का प्रश्न

निश्चित कर सकेगा या किसी अन्य विधि के प्रश्न का उठाया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

4) पुनरीक्षण के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उच्च न्यायालय इसमें कथित या इसके द्वारा निश्चित विधि के प्रश्न को विनिश्चित करेगा, और इस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा मामले के निपटान के लिए आवश्यक हो।

अध्याय-12

प्रकीर्ण उपबंध

27. नियम बनाने की शक्ति.- 1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकेंगे:-

- क) विद्युत् शुल्क की गणना करने की रीति;
- ख) किसी अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा विद्युत् शुल्क के संग्रहण और राज्य सरकार को संदाय की रीति;
- ग) अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा विद्युत् शुल्क के संदाय का समय और रीति;
- घ) विद्युत् शुल्क संदत्त करने के लिए दायी अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा विद्युत् शुल्क के संदाय का समय और रीति;
- ड.) मीटरों और सब-मीटरों का लगाया जाना तथा उनका पठन और उन्हें विद्युत् निरीक्षक या अन्य किसी भी विहित अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच कराना;
- च) वह अधिकारी या प्राधिकारी, जो अधिनियम या तदधीन विरचित नियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हों, का विनिश्चय करेगा और वह प्राधिकारी विहित करना जिसे ऐसे विवाद के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी तथा अधिकारी या

प्राधिकारी को विवाद निर्दिष्ट करने और अपील फाईल करने के लिए प्रक्रिया; और

छ) कोई अन्य ऐसा मामला जिसके लिए राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उपबंध कराना आवश्यक हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिवस की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

28. अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति.- आयुक्त, यदि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में एकरूपता के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक या समीचीन समझता है, उसके अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह उचित समझे, तदुपरि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नियोजित समस्त ऐसे अधिकारी और समस्त अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का अनुसरण और पालन करेंगे।

29. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का लागू होना.- इस अधिनियम और तदधीन बनाये जाने वाले नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 2003 का अधिनियम सं. 2003) के उपबंध, इस अधिनियम में उपबंधित नहीं किये गये

समस्त अन्य आनुषंगिक और प्रकीर्ण मामलों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

30. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- 1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसे ही अवसर उत्पन्न होता है, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी करेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

2) उप-धारा 1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

31. निरसन और व्यावृत्तियां.- नियत दिवस को और से राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 निरसित किया जाता है और ऐसे निरसन पर राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंध लागू होंगे:

परंतु निरसन का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं होगा:-

- क) इस प्रकार निरसित विधि के अधीन बनाये गये या जारी किये गये किसी नियम, अधिसूचना, आदेश या सूचना सहित की गयी किसी बात या किसी कार्रवाई या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई पर; या
- ख) इस प्रकार निरसित विधि के अधीन की गयी नियुक्ति, पुष्टि या घोषणा या दिया गया प्राधिकार या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत और दिया गया कोई निदेश; या
- ग) इस प्रकार निरसित विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

- घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित जारी या प्रवृत्त की जा सकेंगी और शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो; और
- ड.) इस अधिनियम में उपबंधित उपांतरित परिसीमाएं या नई पुरःस्थापित परिसीमाएं भविष्यलक्षी रूप से लागू होंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व घटित समस्त घटनाएं और उद्भूत समस्त मामले निरसित अधिनियम में उपबंधित परिसीमाओं या अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे:

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक के अध्याधीन रहते हुए, राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन विद्युत् शुल्क की दरें या विहित ब्याज, बनाये गये नियम या प्ररूप और निरसित उपबंधों में से किसी के अधीन की गयी कोई नियुक्ति उस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विहित किये गये, विरचित या बनाये गये समझे जायेंगे और तद्दुसार जारी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में विद्युत् के उपभोग पर शुल्क वर्तमान में राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 से शासित होता है जो अब अप्रचलित हो गया है और ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। अतः राजस्व-हित को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए इस संबंध में एक नये अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गयी है।

विद्यमान अधिनियम उस समय लाया गया था जब भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 1910 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) प्रचलित था जबकि यह विद्युत् अधिनियम, 2003 2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है जिसके कारण 1962 के अधिनियम के कुछ उपबंध अनावश्यक हो गये हैं।

यतः विद्युत् अधिनियम, 2003 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) की अधिनियमिति के कारण, उत्पादन के प्रबंध, पारेषण और विद्युत् के प्रदाय में आमूल परिवर्तनों की शुरुआत हो चुकी है और नयी संकल्पनाएं जैसे शक्ति व्यापार, शक्ति विनिमय, खुली पहुंच इत्यादि पुरःस्थापित किये जा चुके हैं।

1962 के विद्यमान अधिनियम में सहायक शक्ति उपभोग, और आबद्ध शक्ति संयंत्र की विनिर्दिष्ट परिभाषाएं नहीं हैं और रजिस्ट्रीकरण, विवरणियां फाइल करने, निर्धारण, व्यतिक्रम पर शास्तियों आदि के लिए अपर्याप्त उपबंध हैं, जो अब इस विधान में जोड़ी गयी हैं।

उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, विद्यमान राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 1962 का अधिनियम सं. 12) को निरसित करके राजस्व की प्रभावी मानिट्रिंग के लिए, विद्युत् उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों को समाविष्ट करते हुए राज्य में विद्युत् के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करने के लिए एक व्यापक विधि बनाना समीचीन मानती है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के अधीन महामहिम
राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 42) विधि/ 2/ 2023 जयपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2023

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के
प्रसंग में, मैं, राजस्थान विद्युत् शुल्क) विधेयक, 2023 को राजस्थान
विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं, तो राज्य सरकार को प्रत्येक ऐसे खण्ड के समक्ष दर्शाये गये मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड	राज्य सरकार के संबंध में
61)	वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा, विहित करना;
62)	डीमंड रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण में संशोधन और रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण लिए प्रक्रिया विहित करना;
71)	वह समय जिसमें और रीति जिससे प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार को संदेय विद्युत् शुल्क संगृहीत और संदत्त करेगा, विहित करना;
73)	वह समय जिसमें और रीति जिससे और प्रत्येक व्यक्ति, आबद्ध उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है और अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से कोई खुली पहुंच का उपयोग नहीं कर रहा है, राज्य सरकार को विद्युत् शुल्क का संदाय करेगा, विहित करना;
8घ)	खण्ड 6 में प्रगणित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उपभुक्त विद्युत् के सत्य और सही लेखा के संधारण और अनुरक्षण के लिए अन्य विशिष्टियां विहित करना;
91)	वह कालावधि जिसके भीतर-भीतर, वह प्ररूप और रीति जिससे विलंब फीस सहित खण्ड 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा, विहित करना;
93)	वह कालावधि, जिसके भीतर-भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत की जायेगी, विहित करना;
94)	वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे और वह समय जिसके भीतर-भीतर नोटिस में उल्लिखित कालावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करनी है, विहित करना;

143)	राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पालन लिये जाने वाले कतिपय कर्तव्यों को विहित करना;
151)	आयुक्त और अधिकारियों द्वारा पालन किये जाने वाले कर्तव्य और प्रयोग की जाने वाली शक्ति, विहित करना;
152) ग)	इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और पालन किये जाने वाले अन्य कर्तव्यों को विहित करना;
157)	वह रीति जिससे और वह मात्रा जिसके लिए, उप-धारा 3) के अधीन यथा अभिगृहीत दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं बंधपत्र के निष्पादन और प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, निर्मुक्त की जायेंगी, विहित करना;
182) iii)	वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति पर नोटिस तामील किया जाएगा, विहित करना;
205)	वे शर्तें और निबंधन जिनके अध्याधीन रहते हुए निर्धारण प्राधिकारी, किसी भी समय, नोटिस को संशोधित या प्रत्याहृत कर सकता है, या नोटिस के अनुसरण में किसी संदाय को करने के लिए समय का विस्तार कर सकता है, विहित करना;
209)	वह रीति, जिससे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति से संबंधित, बैंक खाता को सम्मिलित करते हुए, अनंतिम रूप से कुर्क की जाने वाली, कोई संपत्ति हो, विहित करना;
231)	वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे अनुज्ञसिधारी या अनुज्ञसिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन किया जायेगा, विहित करना;
241)	वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे और वह समय जिसके

	भीतर-भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल की जायेगी, विहित करना;
27	इस अधिनियम के प्रयोजनों को सामान्यतः कार्यान्वित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय जापन

प्रस्तावित राजस्थान विद्युत् शुल्क) विधेयक, 2023 विद्यमान अधिनियम, राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 1962 का अधिनियम सं. 12) को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से राज्य की समेकित निधि पर किसी आवर्ती या अनावर्ती व्यय के लिए उपबंध नहीं किया गया है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill*

to repeal and re-enact the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 in a form to meet the radical changes and new concepts introduced in the Electricity Act, 2003 by the Central Government so as to provide for levy and collection of electricity duty on consumption of electrical energy within the State of Rajasthan and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) “appellate authority” means a person not below the rank of Deputy Commissioner, Commercial Taxes authorized as such by the State Government;

(b) “Assessing Authority” means any officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorized as such by the Commissioner;

(c) “Assessment” means determination of liability under this Act;

(d) “Auxiliary consumption” means electricity consumed by any electrical apparatus situated in a generating station, for generating electricity including Captive Generating Plant, Co-Generating Plant or any other generating plant and the transformer losses within the generating station:

Provided that it shall not include energy consumed for supply of power by the generating station to its housing colony and other facilities, and for construction works at the generating station;

(e) “Captive Generating Plant” means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use or consumption includes a power plant set up by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such cooperative society or association;

(f) “Commissioner” means the Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan, and includes the Additional Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan;

(g) “Consumer” means a person to whom electricity is supplied by a licensee or by any other person on payment of charges or otherwise, and a licensee or other person who consumes electricity generated by himself, but does not include a licensee to whom electricity is supplied for supply to others, and the word “consume” with its all grammatical variations shall be construed accordingly.

Explanation.- Where a licensee to whom electricity is supplied for supply to others, himself consumes any part of the electricity he shall be deemed to be a consumer in respect of electricity so consumed:

Provided that any loss of energy due to transformation, transmission and distribution losses and auxiliary consumption shall not be considered as self consumption by the licensee;

(h) “Electricity Act” means the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003);

(i) “Electricity” means electrical energy,-

(a) generated, transmitted, distributed, consumed, traded or wheeled for any purpose; or

(b) used for any purpose;

(j) “State Government” means the Government of Rajasthan;

(k) “Licensee” means a person who has been granted licence under section 14 of the Electricity Act, for transmission, distribution, supply, trading in electricity and includes those who hold status of a deemed licensee and also those exempted under section 13 of the Electricity Act;

(l) “Open access” means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the regulations made by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission;

(m) “person” means any individual or association or body of individuals and includes a Hindu Undivided Family or Joint Family, a firm, a company whether incorporated or not, a co-operative society, a trust, a club, an institution, an agency, a corporation, a local authority, a Department of the Government or other artificial or juridical person;

(n) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(o) “Tax Board” means Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003); and

(p) “unit” means unit of measurement of electricity in Kilowatt-hour (KWh).

(2) Words and expressions not defined in this Act but defined in Notification dated 24.02.2014 issued by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, shall have the same meaning assigned to them in that Notification.

CHAPTER-II

Incidence and Levy of Electricity Duty

3. Incidence and levy of electricity duty on electricity consumed.- (1) There shall be levied for, and paid to, the State Government on the electricity consumed by a consumer, a duty (hereinafter referred to as the “electricity duty”) computed at such rate as may be fixed by State Government from time to time by Notification in the Official Gazette, but not exceeding 100 paise per unit.

(2) The electricity duty shall not be levied on the electricity consumed,-

- (a) by the Government of India excluding the public undertakings;
- (b) by the State Government excluding the public undertakings;
- (c) in the construction, maintenance or operation of Railways by the Government of India;
- (d) where the electricity is generated at a voltage not exceeding 100 volts;
- (e) by the following classes of institutions, namely:-
 - (i) hospitals or dispensaries, which are wholly run by the Government of India or the State Government;
 - (ii) educational institutions, which are wholly run by the Government of India or the State Government;
 - (iii) places of public worship,
 subject to the condition that the exemption under this clause shall not be applicable to electricity consumed

in buildings or part of buildings, used for commercial or residential purposes.

4. Power to exempt electricity duty.- Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively, from payment of electricity duty payable on electricity consumed by any consumer or class of consumers, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.

CHAPTER-III **Levy of Cess**

5. Levy of Cess.- (1) Any cess may be levied for, and paid to, the State Government as may be notified in the Official Gazette from time to time, not exceeding fifty paise per unit of electricity consumption, for the purpose of the development of basic amenities such as rail and road transportation systems, communication systems, power distribution system, sewerage system, drainage system, water conservation, energy conservation or any other area of public utilities such as street lighting, sanitation etc. serving any area of the State and for financing the Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

(2) The cess leviable under sub-section (1) shall be in addition to the Electricity duty chargeable under section 3.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may apply in relation to the cess leviable under sub-section (1) as they apply in relation to the electricity duty leviable under section 3.

(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for the manner of determination, exemption, calculation, collection, etc. of the cess so leviable under sub-section (1).

(5) The cess collected under this section shall be earmarked and utilized for the purpose as stipulated.

Explanation.- For the purposes of this section, Municipalities shall mean the same as defined in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No.18 of 2009) and Panchayati Raj Institutions shall be the same as defined in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

CHAPTER-IV

Registration

6. Registration.- (1) The following shall be liable for registration:-

- (i) every licensee;
- (ii) person other than licensee, who intends to generate or continues generation of electricity for his own use or captive consumption,

shall make an application for registration electronically on the portal in such form and manner as may be prescribed.

(2) The procedure for deemed registration, amendment in registration and cancellation of registration shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-V

Collection and Payment of Electricity Duty

7. Collection and payment of electricity duty.- (1) Every licensee shall collect and pay to the State Government at the time and in the manner prescribed, the electricity duty payable under this Act, based on the units of electricity consumed:-

- (a) in respect of electricity supplied to its consumers by the licensee;
- (b) in respect of electricity wheeled to the consumers availing open access facility; and
- (c) in respect of electricity consumed by a person generated from the Solar plant setup under Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid

Interactive Distributed Renewable Energy
Generating Systems), Regulations 2021.

(2) The electricity duty so payable shall be a first charge on the amount recoverable by the licensee for the electricity supplied or wheeled by it, and shall be a debt due by it to the State Government.

(3) Every person, who generates electricity for Captive consumption and is not availing any open access to the Licensee's grid, shall pay to the State Government, at the time and in the manner prescribed, the electricity duty payable under this Act in respect of the electricity consumed by him or by the consumers to whom he has supplied electricity.

(4) Nothing contained in sub-section (3) shall apply if the electricity is supplied to the licensee.

(5) Where any person fails or neglects to pay, at the time and in the manner prescribed, the amount of electricity duty due from him, the licensee or the person supplying electricity, may, without prejudice to the right of the State Government to recover the amount under this Act, deduct such amount of electricity duty from the amount, if any, on account of deposit or refund due, with the licensee or the person supplying electricity, after giving not less than fifteen days notice in writing to such consumer or person to whom electricity is supplied, cut off the supply of electricity to such consumer or person, if the dues are not recoverable from the deposit or refund available with him; and he may, for that purpose, exercise the powers conferred on a licensee by sub-section (1) of section 56 of the Electricity Act, for the recovery of any charge or sum due in respect of consumption charges on the electricity consumed.

CHAPTER-VI

Filing of Returns

8. Maintenance and keeping of accounts.- Every licensee or person other than licensee registered under section 6 of this Act

shall keep and maintain a true and correct account of electricity consumed, showing,-

- (a) the units of electricity generated or received by him for supply to the consumers;
- (b) the units of electricity supplied to consumers or consumed by him;
- (c) the amount of the electricity duty payable thereon; and
- (d) such other particulars as may be prescribed.

9. Filing of return.- (1) Every licensee or person other than licensee registered under section 6 of this Act shall furnish return(s), for such period, in such form and manner with such late fee for delayed furnishing of return, as may be prescribed.

(2) Every licensee or person other than licensee, shall not be allowed to furnish such return for a period, if-

- (a) such return for any of the previous period has not been furnished by him; or
- (b) any amount of electricity duty payable by him for any period has not been paid within the prescribed time.

(3) Where any licensee or person other than licensee after furnishing return under sub-section (1) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of assessment or enforcement activity by the Commissioner or any other officer, he shall rectify electronically on the portal such omission or incorrect particulars by furnishing revised return within such time as may be prescribed.

(4) Any licensee or person other than licensee may be required by a notice to do so by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, to furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official

Gazette extend the date of furnishing of the return(s) or may dispense with the requirement of filing any or all the returns.

CHAPTER-VII

Interest and Penalties

10. Interest on failure to pay electricity duty.- Every person who is liable to pay electricity duty in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, fails to pay the electricity duty or any part thereof to the State Government within the prescribed period, shall for the period for which the electricity duty or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at the rate of eighteen per cent per annum on the amount remaining unpaid for the period commencing from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

11. Offences and Penalties.- (1) The Assessing Authority may impose penalty on the person who commits any of the following defaults as provided herein below.-

- (a) where any person does not keep and maintain the accounts as provided in section 8 and/or fails to furnish the same as and when required by the Assessing Authority, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding rupees twenty five thousand and in case of a continuing default penalty of rupees five hundred for everyday of such continuance of default;
- (b) where any person-
 - (i) who is liable to be registered under this Act but fails to obtain registration;
 - (ii) tampers with, or destroys any material evidence or documents;
 - (iii) obstructs any officer appointed under this Act in exercise of the powers conferred upon him by or under this Act;

(iv) fails to comply with the provisions of this Act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this Act,

he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding rupees twenty five thousand;

- (c) where any sum due on account of electricity duty collected by the licensee or any other person but not paid to the State Government within a period of six months from the due date of payment thereof, such licensee or any other person shall be liable to pay penalty equal to twelve per cent per annum on such sum in addition to interest payable;
- (d) where any person is found attempting to avoid or evade the electricity duty or concealed any particulars from any return furnished by him or from books and accounts, or furnishes false/fake information or documents, the Assessing Authority may impose on him by way of penalty a sum equal to two times the amount of electricity duty avoided or evaded in addition to electricity duty payable by him under this Act.

(2) No penalty under this section shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the person concerned.

12. Compounding of offences in lieu of penalty.- Where a person makes an application for compounding of the offence in lieu of penalty, to the Assessing Authority having jurisdiction, admitting his offence committed under sub-clause (d) of section 11, the Assessing Authority may compound the offence by way of composition a sum equal to the amount of electricity duty avoided or evaded.

13. Offences by Companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed, was in charge of and was

responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided under this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and penalized accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of persons or a body of individuals whether incorporated or not; and

(b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm.

CHAPTER-VIII

Officers, Powers and Immunities

14. Officers under this Act.- (1) The Commissioner shall have jurisdiction over the whole of the State and shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on him by or under this Act.

(2) The Commissioner may, subject to such conditions and restrictions as may be specified in this behalf by him, delegate his powers to any other officers subordinate to him.

(3) The State Government may authorize such other officer or officers to perform certain duties as may be prescribed.

(4) All officers and persons authorized under this section shall be subordinate to the Commissioner.

15. Duties and powers.- (1) The Commissioner and such officers as may be authorized to assist him shall perform such duties and exercise such powers as may be prescribed.

(2) The Assessing Authority authorized by the Commissioner or such officers as may be authorized by the State Government in this behalf with such conditions and restrictions as may be specified, shall have the power,-

(a) to require production for inspection of such books and records as may be necessary for ascertaining or verifying the amount of electricity duty leviable under the Act;

(b) where the Commissioner or an officer not below the rank of Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that any licensee or person other than licensee has indulged in contravention of any of the provisions of this Act or rules made thereunder to evade electricity duty under this Act, he may authorize in writing an officer subordinate to him to inspect any place or premises of licensee or person other than licensee for the purpose of,-

(i) verifying the statements made in the books of account kept and returns submitted under this Act;

(ii) testing the reading of meters; and

(iii) verifying the particulars required in connection with the levy of electricity duty; and

(c) exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed for carrying out the purposes of this Act or the rules made thereunder.

(3) Where the officer authorized under sub-section (2), either pursuant to an inspection carried out under sub-section (2) or otherwise, has reason to believe that any documents or books or

things, which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this Act, are secreted in any place, he may search and seize such documents or books or things:

Provided that where it is not practicable to seize any such documents, the said officer, may serve on the owner or the custodian of the documents an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the documents except with the previous permission of such officer:

Provided further that the documents or books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary for their examination and for any inquiry or proceedings under this Act.

(4) The documents, books or things referred to in sub-section (3) or any other documents, books or things produced by the licensee or person other than licensee, which have not been relied upon for the purpose of issuing the notice under this Act, shall be returned to such person within a period not exceeding thirty days of the issue of the said notice.

(5) The officer authorized under sub-section (2) shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any cupboard electronic devices, box, receptacle, etc. in which accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, cupboard, electronic devices, box or receptacle, etc. is denied.

(6) The person from whose custody any documents are seized under sub-section (3) shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorized officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf except where making such copies or taking such extracts may, in the opinion of the officer authorized officer, prejudicially affect the investigation.

(7) The documents or books or things so seized under sub-section (3) shall be released, upon execution of a bond and furnishing of a security, in such manner and of such quantum, respectively, as may be prescribed or, as the case may be, on

payment of applicable electricity duty, interest and penalty payable.

(8) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to search and seizure under this section subject to the modification that sub-section (5) of section 165 of the said Code shall have effect as if for the word “Magistrate”, wherever it occurs, the word “Commissioner” were substituted.

(9) Where the officer authorized has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of electricity duty, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers or documents of such person produced before him and shall issue a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings under this Act.

16. Immunity.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer or officials of the State Government for anything which is done under this Act or the rules made thereunder in good faith.

CHAPTER-IX

Assessment

17. Self-assessment.- Every licensee or person other than licensee, registered under section 6 shall self-assess the electricity duty payable under this Act and declare in the return as specified under section 9, within prescribed time for each period, shall be deemed to have been assessed on the basis of return filed and no separate order shall be required to be passed except the cases pertaining to sub-section (2) of section 18.

18. Assessment.- (1) Subject to sub-section (2) of this section, the electricity duty payable by the licensee or person other than licensee, shall be assessed in the manner hereinafter provided, for the year or part thereof, during which he is liable to pay electricity duty.

(2) Where,-

- (i) the Assessing Authority is not satisfied with the bonafides of the person for non-payment of electricity duty and the licensee or person required to furnish return under section 9 of this Act fails to furnish such return, or where return so furnished appears to the Assessing Authority to be incorrect or incomplete, or
- (ii) the person required to be registered under this Act fails to get himself registered under this Act, or
- (iii) the Commissioner has reason to believe that detailed scrutiny of the case is necessary, the Assessing Authority may, serve on licensee or person other than licensee who is liable to pay electricity duty, in such form and in such manner as may be prescribed, a notice requiring him to appear on a date and place specified therein, either to attend and produce or cause to be produced the books of account and all evidence on which the licensee or person other than licensee relies in support of his return or to produce such evidence as specified in the notice.

(3) The Assessing Authority shall, after considering the representation and documents or evidence, if any, furnished by the licensee or person other than licensee to whom notice has been issued under sub-section (2), proceed to assess to the best of his judgment, the amount of electricity duty along with interest and penalty, if any, payable under this Act by such licensee or person other than licensee and issue an assessment order in this regard.

(4) No order shall be passed under sub-section (3), after the expiry of two years, from the end of the year comprising the period or periods in respect of which the licensee or person other than licensee is liable to pay the electricity duty.

19. Escaped assessment.- (1) If in consequence of an information which has come to the knowledge of the Assessing

Authority, due to which any amount is found under assessed or unassessed in any way under section 17 or section 18 of this Act, the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such escaped assessment.

(2) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years, and no assessment under this section shall be made after the expiry of eight years, from the end of the relevant year.

(3) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

CHAPTER-X

Recovery and Refund

20. Recovery.- (1) Any sum due on account of electricity duty, if not paid at the time and in the manner prescribed shall be deemed to be an arrears and such sum together with interest and penalty, if any, shall be recoverable by the State Government as an arrear of land revenue.

(2) Where any amount payable by licensee or person other than licensee to the State Government under the provisions of this Act or the rules made thereunder is not paid, the Assessing Authority may, by a notice in writing, require licensee or person other than licensee from whom money is due or may become due to such licensee or person other than licensee or who holds or may subsequently hold money for or on account of such licensee or person other than licensee, to pay to the State Government either forthwith upon the money becoming due or being held, or within the period specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from such licensee or person other than licensee or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.

(3) Every licensee or person other than licensee to whom the notice is issued under sub-section (2) shall be bound to comply with such notice, and in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary.

(4) In case the licensee or person other than licensee to whom a notice under sub-section (2) has been issued, fails to make the payment in pursuance thereof to the State Government, he shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this Act or the rules made thereunder shall follow.

(5) The Assessing Authority may, at any time, amend or revoke such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(6) Any licensee or person other than licensee making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (2) shall be deemed to have made the payment under the authority of the licensee or person other than licensee in default and such payment being credited to the State Government shall be deemed to constitute a good and sufficient discharge of the liability of such licensee or person other than licensee to the licensee or person other than licensee in default to the extent of the amount specified in the receipt.

(7) Any licensee or person other than licensee discharging any liability to the licensee or person other than licensee in default after service on him of the notice issued under sub-section (2) shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the licensee or person other than licensee in default for electricity duty, interest and penalty, whichever is less.

(8) Where licensee or person other than licensee on whom a notice is served under sub-section (2) proves to the satisfaction of the Assessing Authority issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the licensee or person other than licensee in default or that he did not hold any money for or on account of the licensee or person other than licensee in default, at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof, likely to become due to the said licensee or person other than licensee or be held for or on account of such licensee or person other than licensee, nothing contained in this section shall be deemed to require the licensee or person other than licensee on whom the notice has been served to pay to the State Government any such money or part thereof.

(9) Where during the pendency of any proceedings under this section, after the initiation of such proceedings, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the licensee or person other than licensee liable to pay electricity duty under this Act, in such manner as may be prescribed.

(10) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of the order made under sub-section (9).

21. Electricity duty to be first charge.- Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016), any amount payable by the licensee or a person other than licensee on account of electricity duty, interest or penalty which he is liable to pay to the State Government under this Act, shall be the first charge on the property of such licensee or a person other than licensee.

22. Power to reduce or waive interest and penalty in certain cases.- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in the

Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable under this Act, subject to such terms and conditions as may be specified therein.

23. Refund.- (1) Where any amount paid by the licensee or any person other than licensee, exceeds the amount actually payable by him under this Act, or in any instances where refund arises, he may make an application for refund of such amount in such form, along with such documents and in such manner as may be prescribed.

(2) If electricity duty has been collected and paid in excess of what is payable under the Act, the Commissioner or any officer authorized by him shall authorize the refund of the excess electricity duty so paid to the licensee or person other than licensee concerned from whom it is collected in excess of what is payable under the Act by adjustment against future dues of electricity duty.

CHAPTER-XI

Appeals and Revision

24. Appeals.- (1) Any licensee or person other than licensee aggrieved by any decision or order passed under this Act, may file an appeal before appellate authority, in such form, within such time, and in such manner as may be prescribed.

(2) No appeal shall be filed by any licensee or person other than licensee, unless he has paid-

- (a) in full, such part of amount of electricity duty and cess, interest and penalty arising from impugned order, as is admitted by him; and
- (b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of electricity duty in dispute arising from the said order in relation to which the appeal has been filed.

(3) Where the amount specified under sub-section (2) has been paid, the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to have been stayed.

(4) A licensee or person other than licensee shall have the right to be heard at the hearing of the appeal.

(5) Every appeal shall, where it is possible to do so, be heard and decided within a period of one year from the date on which it is filed:

Provided that where the issuance of order is stayed by an order of a court, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

25. Subsequent Appeal.- Any licensee or person other than licensee aggrieved by any order of the Appellate Authority referred to in section 24, may file an appeal before the Tax Board within ninety days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated to him in writing.

26. Revision to the High Court.- (1) Any licensee or person other than licensee aggrieved by an order passed by the Tax Board under section 25, may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court in the prescribed form accompanied by the prescribed fee, for revision of such order on the ground that it involves a question of law.

(2) The Commissioner may, if he feels aggrieved by any order passed by the Tax Board under section 25, direct any officer to apply to the High Court for revision of such order on the ground that it involves a question of law; and such officer shall make the application to the High Court within one hundred and eighty days of the date on which the order sought to be revised is communicated in writing to the Commissioner.

(3) The application for revision under sub-section (1) or sub-section (2) shall state the question of law involved in the order sought to be revised, and the High Court may formulate the question of law in any form or allow any other question of law to be raised.

(4) The High Court shall after hearing the parties to the revision, decide the question of law stated to it or formulated by it, and shall thereupon pass such order as is necessary to dispose of the case.

CHAPTER-XII
Miscellaneous Provisions

27. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for.-

- (a) the manner of calculating the electricity duty;
- (b) the manner of collection and payment to the State Government of the electricity duty by licensee or person other than licensee;
- (c) the time and manner of payment of the electricity duty by licensee or person other than licensee;
- (d) the time and manner of payment of electricity duty by a person other than licensee liable to pay electricity duty;
- (e) provide for installation and the reading of meters and sub-meters and for getting them tested by an Electrical Inspector or by any other prescribed officer or authority;
- (f) the officer or authority which shall decide the dispute, if any, arising under the Act or the rules framed thereunder and prescribed the authority to which an appeal shall lie against the order passed on such dispute and the procedure for referring dispute to the officer or authority and for filing appeal; and
- (g) any other matter for which provision is, in the opinion of the State Government, necessary for giving effect to the provisions of this Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days

which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

28. Power to issue instructions or directions.- The Commissioner may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of uniformity in the implementation of this Act, issue such orders, instructions or directions to the officers subordinate to him as it may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the implementation of this Act shall observe and follow such orders, instructions or directions.

29. Applicability of the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and Rules made thereunder.- Subject to the provisions of this Act and rules made thereunder, provision of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), shall apply *mutatis mutandis* for all other incidental and miscellaneous matters not provided in this Act.

30. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature.

31. Repeal and savings.- On and from the appointed day, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), shall stand repealed and the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply such repeal:

Provided that the repeal shall not affect,-

- (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any rule, notification, order or notice made or issued under the law so repealed; or
- (b) any appointment, confirmation or declaration made or any authorization or exemption granted or any document or instrument executed and any direction given under the law so repealed; or
- (c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the law so repealed; or
- (d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid; and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty may be imposed as if this Act had not been enacted; or
- (e) the modified limitations or newly introduced limitations provided in this Act shall apply prospectively and all events occurred and all issues

arose prior to the date of commencement of this Act, shall be governed by the limitations provided or the provisions contained in the repealed Act:

Provided further that subject to the preceding proviso, rates of electricity duty or interest prescribed, rules or forms framed under the provisions of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 and any appointment made under any of the repealed provisions shall be deemed to have been prescribed, framed or made under the corresponding provisions of this Act, shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Duty on consumption of electricity in the State of Rajasthan at present is governed by the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 which has now become obsolete and unable to address the present day requirements of energy sector. Hence the need for a new Act in this regard is felt to cater to interest of revenue effectively.

The existing Act was brought at the time when the Indian Electricity Act, 1910 (Central Act No. 9 of 1910), was prevailing since it has been replaced by the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003) due to which some provisions of Act of 1962 have become redundant.

Whereas, due to enactment of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003), radical changes have been ushered in the management of generation, transmission and supply of electricity, and new concepts like power trading, ex-changes of power, open access etc. have been introduced.

The existing Act of 1962 does not have specific definitions of auxiliary power consumption and captive power plant and has insufficient provisions for registration, filing of returns, assessments, penalties on default etc., which have now been added in this legislation.

Having considered the above factors, the State Government considers it expedient to bring, for effective monitoring of revenue, a comprehensive law to provide for the levy of a duty on consumption of electricity in the State covering all categories of

electricity consumers by repealing the existing Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962).

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 42) विधि/ 2/ 2023 जयपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2023

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के प्रसंग में, मैं, मैं, राजस्थान विद्युत् शुल्क) विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules, with respect to matters noted against each such clause:-

Clauses	With respect to State Government
6(1)	prescribing the form and manner in which an application for registration electronically on the portal to be made;
6(2)	prescribing the procedure for deemed registration, amendment in registration and cancellation of registration;
7(1)	prescribing the time at which and manner in which every licensee shall collect, and pay, the electricity duty payable to the State Government;
7(3)	prescribing the time at which and manner in which every person, who generates energy for Captive consumption and is not availing any open access to the Licensee's grid shall pay electricity duty to the State Government;
8(d)	prescribing other particulars for maintenance and keeping of a true and correct account of electricity consumed, by the registered person enumerated in clause 6;
9(1)	prescribing the period within which, form and manner in which with late fee every licensee or person other than licensee registered under clause 6 shall furnish the return;
9(3)	prescribing the time within which revised return shall be furnished;
9(4)	prescribing the form and manner in which and time within which to furnish return for the period mentioned in the notice;
14(3)	prescribing certain duties to be performed by other officer or officers authorized by the State Government;
15(1)	prescribing the duties to be performed and power to be

	exercised by the Commissioner and officers;
15(2) (c)	prescribing other powers to be exercised and other duties to be performed for carrying out the purposes of this Act or the rules made thereunder;
15(7)	prescribing the manner in which and quantum for which, upon execution of a bond and furnishing of a security, the documents or books or things so seized under sub-section (3) shall be released;
18(2) (iii)	prescribing the form and manner in which notice shall be served on the licensee or person other than licensee;
20(5)	prescribing the conditions and restrictions subject to Assessing Authority may, at any time, amend or revoke notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice;
20(9)	prescribing the manner in which any property, including bank account belonging to the licensee or person other than licensee, to be attached provisionally;
23(1)	prescribing the form and manner in which an application for refund to be made by the licensee or person other than licensee;
24(1)	prescribing the form and manner in which and time within which an appeal before the appellate authority to be filed; and
27	generally carrying out the purposes of this Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Electricity (Duty) Bill, 2023 is being brought to replace the existing Act, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962). There is no provision for any recurring or non-recurring expenditure on the Consolidated Fund of the State through the proposed Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

Bill No. 34 of 2023

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal and re-enact the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 in a form to meet the radical changes and new concepts introduced in the Electricity Act, 2003 by the Central Government so as to provide for levy and collection of electricity duty on consumption of electrical energy within the State of Rajasthan and for matters connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

राजस्थान विद्युत् शुल्क) विधेयक,2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत् अधिनियम, 2003 में पुरःस्थापित आमूल परिवर्तनों और नयी संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान विद्युत् शुल्क) अधिनियम, 1962 को निरसित करने और ऐसे प्ररूप में पुनः अधिनियमित करने हेतु, जिससे राजस्थान राज्य के भीतर विद्युतीय ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत् शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए उपबंध करने हेतु और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)